सं. 38/37/08– पी एंड पी डब्ल्यू (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली– 110003
दिनांक 06 अप्रैल, 2016

कार्यालय आदेश

विषय :– वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन– संशोधित पेंशन में 33 वर्ष की अर्हक सेवा की बाध्यता को हटाया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित पेंशन से संबंधित इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 के अनुसार, 1.1.2006 से प्रभावी संशोधित पेंशन, किसी भी मामले में, संशोधन पूर्व वेतनमान जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे, के तदनुरूपी वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% से कम नहीं होगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.10.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत यह स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% पर पेंशन की गणना, वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन (वेतन के संशोधन–पूर्व वेतनमान पर ध्यान दिए बिना) और संशोधन पूर्व वेतनमान के तदनुरूपी ग्रेड वेतन के न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग पर की जाएगी।

2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह दावा किया गया था कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008–IC में संलग्न निर्धारण तालिका (फिटमेंट टेबल) के अनुरूप संशोधन–पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे, के तदनुरूपी वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने मूल आवेदन सं. 655/2010 और तीन अन्य संबंधित मूल आवेदनों के मामले में दिनांक 01.01.2011 के अपने सामान्य आदेश में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 29.08.2008 के संकल्प के आधार पर और इस आदेश में माननीय कैट की टिप्पणियों के आलोक में 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनांक 01.01.2006 से पुनर्निधारण करने के निदेश दिए।

3. इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के समसंख्यक का.ज्ञा. के तहत 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की पेंशन को दिनांक 24.09.2012 से बढ़ाकर संशोधन–पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे, के तदनुरूपी वेतन बैंड के योग के 50% करने के आदेश जारी किए गए थे। इस का.ज्ञा. के पैरा 5 में व्यवस्था है कि यदि दिनांक 01.09.2008 के का.ज्ञा. सं. 38/37/08– पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के पैरा 4.1 के अनुसार परिकलित समेकित पेंशन/कुटुंब पेंशन, दिनांक 28.01.2013 के का.ज्ञा. में उल्लिखित तरीके से गणना की गई पेंशन/कुटुंब पेंशन की तुलना में अधिक है, तो उसे ही (उच्चतर समेकित पेंशन/कुंटुब पेंशन) मूल पेंशन/कुंटुब पेंशन माना जाएगा।

4. तदुपरांत, मूल आवेदन सं. 655/2010 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ के दिनांक 01.11.2011 के आदेश, डब्ल्यू पी (सी) सं. 1535/2012 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 29.04.2013 के आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17.03.2015 के एसएलपी(सी) सं. 36148/2013 के आदेश के अनुपालन में इस विभाग के दिनांक 30.07.2015 के समसंख्यक का.ज्ञा. के तहत आदेश जारी किया गया कि 2006 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन में इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 38/37/08–पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अनुसार दिनांक 24.09.2012 के बजाय 01.01.2006 से संशोधन किया जाए।

5. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन में जारी किए गए आदेश के अनुसार, 1.1.2006 को या इसके उपरांत सेवानिवृत्त हो चुके/सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में 33 वर्ष की अर्हक सेवा की बाध्यता को हटा दिया गया है। 2006–पूर्व के एक पेंशनभोगी, श्री एम.ओ. इनासु द्वारा दायर मूल आवेदन सं. 715/2012 में माननीय कैट, एरनाकुलम पीठ, ने अपने दिनांक 16.08.2013 के आदेश में निदेशित किया कि दिनांक 01.09.2008 के का.ज्ञा. के पैरा 4.2 के तहत दिनांक 01.01. 2006 से संशोधित पेंशन को, 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के आधार पर कम नहीं किया जाएगा। माननीय केरल उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर राजस्व विभाग की अपील को भी खारिज कर दिया गया है। कई अन्य मामलों में भी माननीय कैट/उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे ही आदेश पारित किए गए हैं।

6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की संशोधित समेकित पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति के समय 33 वर्ष से कम अर्हक सेवा होने के बावजूद, पेंशन को यथानुपात घटाए बिना निर्धारण तालिका (फिटमेंट टेबल) के अनुसार, संशोधन पूर्व वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड पे (जहां लागू हो) में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का पैरा 5 विलोपित किया जाता है। संशोधित पेंशन की बकाया राशि का भुगतान दिनांक 01.01. 2006 से देय होगा।

7. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध किया जाता कि वे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों के मामले में, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय 33 वर्षों की अर्हक सेवा से कम सेवा की थी, की पेंशन में उपर्युक्त अनुसार संशोधन करने के लिए इन आदेशों की विषय–वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारी और अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं। इन सभी मामलों में संशोधित पेंशन भुगतान आदेश भी तुरंत जारी किए जाएं।

8. सभी पेंशन संवितरण कार्यालयों को भी सलाह दी जाती है कि वे पेंशनरों की सुविधा के लिए इन आदेशों को प्रमुखता से अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।

9. यह व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से उनके दिनांक 15.03.2016 के आईडी नोट सं. 2(9)/ई V 2015/के तहत जारी किया जाता है।

6/4/2016

(सीमा गुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)।
2. स्कोवा के सभी सदस्य।
3. सभी मान्यताप्राप्त पेंशनभोगी संगठन।

प्रतिलिपि : एनआईसी प्रकोष्ठ को, विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।